न्यायालय कलेक्टर बालाघाट (म0प्र0)

रा0प्र0क0 / 0031 / अ–59 वर्ष 22–23
मौजा बकेरा प0ह0नं0–13
राजस्व निरीक्षक मंडल–बुदबुदा
तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क. 1 बालाघाट–..............आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

संशोधित आदेश

(पारित दिनांक 14 मार्च 2024)

वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट द्वारा प्रस्तुत प.क./माचि.1/679 बालाघाट दिनांक 29.01.2024 में उल्लेख किया गया है, कि मौजा बकेरा प.ह.न. 13 रा.नि.मं. बुदबुदा तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट में स्थित भूमि खसरा नंबर 2/1, 73 रकबा 16.938 हे. भूमि वन. विभाग को रा.प्र.क. 0031/अ–59/वर्ष 2022–23 मौजा बकेरा प.ह.न. 13 तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट पारित आदेश दिनांक 05 दिसम्बर 2022 को हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि के लगभग 8.00 हे. भाग में अतिकमण, तालाब एवं खेती तथा कुछ भाग वन विभाग का वन क्षेत्र होना पाया गया है, जिससे भविष्य में वन राजस्व सीमा विवाद उत्पन्न होने की संभावना प्रतीत होती है। जिसमें संशोधित आदेश जारी किया जाकर ग्राम बकेरा अंतर्गत 8 हे. भूमि अन्यत्र स्थान पर वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की जाकर संशोधित आदेश जारी करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट से प्राप्त पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी रा. वारासिवनी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रतिवेदन अनुसार राजस्व विभाग एवं वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से मौका स्थल जांच की गई, जांच उपरांत ग्राम बकेरा स्थित ख.न. 88/1/1 कुल रकबा 48.853 हे. मद वन म.प्र.शासन छोटे झाड का जंगल व घास मद में से अंश रकबा 7.00 हे. भूमि वनविभाग को हस्तांतरित किये जाने में पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति दिर्ज कराई गई थी। उपरोक्त भूमि वनविभाग को हस्तांतरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निराधार होना लेख किया गया है। ग्राम में चरनोई भूमि का 2 प्रतिशत रकबा 11.299 हे. शेष रहेगा। वनविभाग को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है–

क.	ख.न.	रकबा	प्रस्तावित	शेष भूमि
1	2	3	4	5
1.	2/1	10.964 हे. में से	6.216 हे. भूमि वनविभाग को प्रस्तावित	4.748 हे. भूमि पुनः म.प्र.शासन छोटे झाड का जंगल व घास मद में दर्ज की जावे।
2.	73/2	5.974 हे. में से	3.722 हे. भूमि वनविभाग को प्रस्तावित	2.252 हे. भूमि वन पुनः म.प्र.शासन. छोटे झाड का जंगल व घास मद में दर्ज को जावे।
3	88/1/1	48.853 हे. में से	7.000 हे. भूमि वनविभाग हेतु प्रस्तावित	41.853 हे. भूमि यथावत
		योग–	16.938 हे.	

कलेक्टर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

प्रकरण में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये सूची अनुसार के कालम नंबर–4 में प्रस्तावित कुल– 16.938 हे. भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–दो की कंडिका 5 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। शेष सभी शर्तें मूल रा.प्र.क. 0031/अ–59 वर्ष– 2022–23 मौजा बकेरा रा.नि.मं. बुदबुदा तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट में पारित आदेश दिनांक 05 दिसम्बर 2022 की ही रहेगी।

आज दिनांक 14 .03.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से संशोधित आदेश पारित किया गया।

न्यायालय कलेक्टर सत्यमेव जयते बालाघाट (म.प्र.)

(डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा)
जिला कलेक्टर (म.प्र.)
बालाघाट (म0प्र0)

पृ0क्र0/ 1298 /रीडर/कले0/2024, बालाघाट दिनांक- 14/03/2024

प्रतिलिपि :–

1– वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट।
2– महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क. 1 बालाघाट
3– अनुविभागीय अधिकारी रा. वारासिवनी
4– नायब तहसीलदार वारासिवनी जिला बालाघाट।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2829
26/4/24

कलेक्टर
जिला बालाघाट (म0प्र0)